

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-10प/जि०अभि०-स्था०-01-01/2025/263/पं०रा०, पटना, दिनांक-11/4/2025

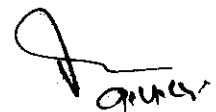
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-20, दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल संसाधन विभाग को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न अवधियों में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध कराया गया, उनकी नियुक्ति अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश संख्या-34, दिनांक-31.01.2025 द्वारा शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर परीक्षा पर नियुक्ति की गयी है। जिसके आलोक में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापक-प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(क०अ०)-06/2025-117, दिनांक-01.03.2025 द्वारा परीक्षा पर नवनियुक्त कुल 83 (तिरासी) कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है, जिनकी दिनांक-26.03.2025 को काउंसिलिंग से संबंधित कार्य किया गया। विभिन्न कारणों से कुल 02 कनीय अभियंता का पदस्थापन उक्त तिथि को नहीं किया गया। उन कनीय अभियंता (असैनिक) के साथ पूर्व से पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निम्नवत पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक	गृह जिला	पूर्व से पदस्थापित जिला परिषद कार्यालय	वर्तमान में पदस्थापित जिला परिषद कार्यालय	प्रतिनियुक्त जिला परिषद कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रिंस कुमार	8342	लखीसराय	-	बेगूसराय		
2	श्री धमेन्द्र कुमार	6710	अरवल	-	औरंगाबाद		
3	रंजू कुमारी	11520	गया	औरंगाबाद	नालंदा	जहानाबाद	
4	श्री रौशन कुमार	7248	मुजफ्फरपुर	बेगूसराय	समस्तीपुर		
5	श्री सिद्धांत सुमन	6539	भागलपुर	खगड़िया	बेगूसराय	खगड़िया	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेशित किया जाता है कि नव पदस्थापित जिला परिषद कार्यालय में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित विभाग नवनियुक्त कनीय अभियन्ता (असैनिक) के योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेंगे।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-10प/जि०अभि०-स्था०-01-01/2025/5112/पं०रा०, पटना, दिनांक-11/4/2025

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय, औरंगाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, खगड़िया एवं जहानाबाद तथा संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-10प/जि०अभि०-स्था०-01-01/2025/5112/पं०रा०, पटना, दिनांक-11/4/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-10प/जि०अभि०-स्था०-01-01/2025/5112/पं०रा०, पटना, दिनांक-11/4/2025

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके कार्यालय आदेश ज्ञापांक-प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(क०अ०)-06/2025-117, दिनांक-01.03.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-10प/जि०अभि०-स्था०-01-01/2025/5112/पं०रा०, पटना, दिनांक-11/4/2025

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

my